[प्राधिकृत अनुवाद]

हरियाणा विधान सभा

2026 का विधेयक संख्या–21 एच०एल०ए०

हरियाणा राज्य भौतिक–चिकित्सा परिषद् (निरसन) विधेयक, 2026

हरियाणा राज्य भौतिक–चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 2020 का निरसन करने हेतु

विधेयक

भारत गणराज्य के सतहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:–

1. यह अधिनियम हरियाणा राज्य भौतिक–चिकित्सा परिषद् (निरसन) अधिनियम, 2026 कहा जा सकता है। संक्षिप्त नाम।

2. (1) हरियाणा राज्य भौतिक–चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 2020, इसके द्वारा, निरसित किया जाता है। निरसन तथा व्यावृत्ति।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी,–

(i) इस प्रकार निरसित किए गए अधिनियम के अधीन लिए गए या जारी किए गए सभी आदेश, अधिसूचनाएं, पंजीकरण, अनुमतियां, अनुमोदन, मान्यताएं, निर्णय, कार्यवाहियां और कार्रवाइयां, वैध और प्रभावी बनी रहेंगी;

(ii) हरियाणा राज्य भौतिक–चिकित्सा परिषद् की सभी आस्तियां, निधियां, अभिलेख, संपत्तियां, देयताएं, अधिकार, बाध्यताएं, संविदाएं, प्रतिबद्धताएं, पंजीकरण, रजिस्टर, डेटाबेस, प्रमाणपत्र, अभिलेख और कार्यवाहियां, राज्य सहबद्ध और स्वास्थ्य देख–रेख परिषद् को इसके गठन के बाद हस्तांतरित की गई और में निहित समझी जाएंगी;

(iii) निरसन की तिथि से ठीक पूर्व हरियाणा राज्य भौतिक–चिकित्सा परिषद् में सेवारत अधिकारी और कर्मचारी, सेवा के उन्हीं निबंधनों तथा शर्तों पर सेवा करते रहेंगे;

(iv) उक्त अधिनियम के निरसन की तिथि से पूर्व लम्बित कोई विधिक कार्यवाही, जांच, अपील, आवेदन या कोई अन्य मामले, राज्य सहबद्ध और स्वास्थ्य देख–रेख परिषद् के गठन पर भी जारी रहेंगे और संस्थित किए गए समझे जाएंगे।

उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण

हरियाणा राज्य भौतिक चिकित्सा परिषद् का गठन हरियाणा राज्य भौतिक चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 2020 के अधीन राज्य में भौतिक चिकित्सा (Physiotherapy) के व्यवसाय को विनियमित करने के उद्देश्य से किया गया था, जिसमें भौतिक चिकित्सकों का पंजीकरण, रजिस्टरों का रख–रखाव, शैक्षणिक संस्थानों एवं पाठ्यक्रमों का विनियमन तथा व्यावसायिक मानकों और नैतिक आचरण को सुनिश्चित करना सम्मिलित है।

तत्पश्चात, केंद्रीय सरकार द्वारा राष्ट्रीय सहबद्ध एवं स्वास्थ्य देखभाल व्यवसाय आयोग अधिनियम, 2021 अधिनियमित किया गया, जिसमें सहबद्ध एवं स्वास्थ्य देखभाल व्यवसायों के लिए शिक्षा एवं सेवाओं के मानकों के विनियमन और रख–रखाव तथा राज्य सहबद्ध एवं स्वास्थ्य देखभाल परिषदों के गठन का प्रावधान किया गया है। उक्त अधिनियम के अधीन भौतिक चिकित्सा को सहबद्ध एवं स्वास्थ्य देखभाल व्यवसाय के रूप में सम्मिलित किया गया है।

उक्त केंद्रीय अधिनियम के प्रावधानों के अनुसरण में हरियाणा राज्य सहबद्ध एवं स्वास्थ्य देखभाल परिषद् का गठन किया गया है। केंद्रीय अधिनियम के अधीन स्थापित वैधानिक ढांचे के दृष्टिगत, भौतिक चिकित्सा से संबंधित विनियामक कार्यों को एकीकृत ढांचे के अंतर्गत लाया जाना आवश्यक है। वर्ष 2020 के अधिनियम के अधीन पृथक राज्य भौतिक चिकित्सा परिषद् का निरंतर अस्तित्व विनियामक कार्यों में पुनरावृत्ति एवं अतिव्यापन को जन्म देगा।

अतः, एकीकृत विनियामक ढांचे के अंतर्गत सुगम परिवर्तन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से हरियाणा राज्य भौतिक चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 2020 को निरसित करने हेतु हरियाणा राज्य भौतिक चिकित्सा परिषद् (निरसन) विधेयक, 2026 अधिनियमित किया जाना प्रस्तावित है।

प्रस्तावित विधेयक में आवश्यक बचत एवं परिवर्तनकालीन उपबंध किए गए हैं, ताकि वर्ष 2020 के अधिनियम के अधीन की गई कार्यवाहियों की वैधता एवं निरंतरता जिनमें पंजीकरणों, कार्यवाहियों की निरंतरता तथा परिसंपत्तियों, देयताओं और कार्मिकों का राज्य सहबद्ध एवं स्वास्थ्य देखभाल परिषद् को अंतरण सम्मिलित है, सुरक्षित रहें।

इस निरसन से राज्य सरकार पर कोई अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ने की संभावना नहीं है, क्योंकि व्यय की पूर्ति संबंधित परिषद् के संसाधनों से की जाएगी।

अतः, विधेयक प्रस्तुत है।

आरती सिंह राव,
स्वास्थ्य मंत्री, हरियाणा।

चण्डीगढ़ :
दिनांक : 27 अगस्त, 2026

डॉ. वीरेंद्र कुमार दहिया, भा.प्र.से.,
सचिव।

अवधेय: उपर्युक्त विधेयक हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 128 के परन्तुक के अधीन दिनांक 27 अगस्त, 2026 के हरियाणा गवर्नमैंट गजट (असाधारण) में प्रकाशित किया था।

12834—H.V.S.—H.G.P., Pkl.